रुचि अभिव्यक्ति (Expression of Interest - EoI)

माँ सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल कैंटीन में कैंटीन संचालन हेतु

पीडीपीएम

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट: खमरिया

जबलपुर – 482005

ईओआई संख्या: IIITDMJ/DSA/EOI/2026/06/	दिनांक: 29/06/2026

ईओआई की समय-सारणी

विवरण	तिथि
संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि	25-06-26
ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	15-07-2026 (सायं 05:00 बजे तक)
साक्षात्कार की तिथि एवं समय	20-07-2026 (प्रस्तावित प्रातः 11:00 बजे)

संस्थान की वेबसाइट: https://www.iiitdmj.ac.in

इस दस्तावेज़ में कुल: 16 पृष्ठ हैं।

दिनांक: 24-06-2026

रुचि अभिव्यक्ति (Expression of Interest - EoI)

माँ सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल स्थित कैंटीन के संचालन हेतु 12 माह की अवधि के लिए, कार्य-क्षेत्र (अनुलग्नक-1), नियम एवं शर्तों (अनुलग्नक-2) के अनुसार सीलबंद **रुचि अभिव्यक्तियाँ (EOI)** आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्में निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-3) में भरा हुआ ईओआई आवेदन, अनुभव प्रमाण-पत्र, प्रशंसापत्र एवं आवश्यक दस्तावेज (जैसा लागू हो), साथ ही स्व-घोषणा/अंडरटेकिंग (अनुलग्नक-4), जाँच सूची (अनुलग्नक-5) तथा दर सूची (अनुलग्नक-6) सहित, दिनांक **15-07-2026** को **सायं 05:00 बजे** तक संस्थान के केंद्रीय प्रेषण (Central Dispatch) अनुभाग में उपलब्ध कोटेशन बॉक्स में जमा करें।

इच्छुक एवं पात्र फर्मों को उनके दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रतियों सहित समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु **दिनांक 20-07-2026** को **प्रातः 11:00 बजे (प्रस्तावित)** संस्थान के प्रशासनिक भवन के भूतल स्थित **कॉन्फ्रेंस हॉल** में उपस्थित होने की सूचना पृथक से दी जाएगी।

कार्यवाहक कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. निदेशक महोदय —– कृपया सद्भावपूर्वक अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव —– सूचनार्थ।
3. समस्त पीआईसी/समस्त विभागाध्यक्ष/एफआईसी।
4. समस्त संकाय सदस्य।
5. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/सहायक ग्रंथपाल/कार्यपालन अभियंता (सिविल)।
6. मुख्य वार्डन/समस्त वार्डन।
7. प्रभारी, वेबसाइट —– संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।

पीडीपीएम

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

1. कार्य-क्षेत्र (Scope of Work)

1.1 चयनित फर्म को पीडीपीएम-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के **माँ सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल** में विद्यार्थियों एवं आगंतुकों के लिए कैंटीन संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

1.2 आवंटन की अवधि **01 वर्ष** होगी, जिसे सेवाएँ संतोषजनक पाए जाने पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।

1.3 प्रत्येक बिक्री के लिए सभी ग्राहकों को **कंप्यूटरीकृत रसीद (Computerized Receipt)** प्रदान करना अनिवार्य होगा।

1.4 हॉस्टल कैंटीन में कार्यरत कर्मचारियों का प्रवेश एवं निकास केवल कैंटीन के पिछले (रियर) प्रवेश द्वार से ही होगा।

1.5 रसोइया (Cook) पुरुष हो सकता है, किन्तु उसकी आवाजाही केवल रसोई (Kitchen) क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। अन्य सभी कर्मचारी महिला होना अनिवार्य होगा।

1.6 किसी भी कर्मचारी को संस्थान परिसर में निवास करने की अनुमति नहीं होगी।

1.7 सेवा प्रदाता केवल पैक्ड (Packed) एवं ब्रांडेड (Branded) खाद्य सामग्री ही रख सकेगा।

1.8 सेवा प्रदाता के पास कार्य संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में जनशक्ति/कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिए।

1.9 बिक्री का अभिलेख (Sale Log) संधारित किया जाएगा, जिसकी समय-समय पर समिति द्वारा जांच की जा सकती है।

1.10 कैंटीन सप्ताह के सभी दिनों, जिसमें शनिवार एवं रविवार भी शामिल हैं, **प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 01:00 बजे** तक खुली रहेगी। यदि किसी विशेष दिन कैंटीन खोलना संभव न हो, तो चयनित फर्म को इसके लिए **माँ सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन द्वारा अग्रेषित एफआईसी (स्टूडेंट अफेयर्स)** से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर चेतावनी दी जाएगी। एक चेतावनी के पश्चात प्रत्येक ऐसी घटना पर **₹500/- (रुपये पाँच सौ मात्र)** का जुर्माना लगाया जाएगा।

1.11 चयनित फर्म संस्थान द्वारा प्रस्ताव (Offer) जारी किए जाने की तिथि से **15 (पंद्रह) दिनों** के भीतर कैंटीन का संचालन प्रारंभ करेगी। यदि चयनित फर्म बिना किसी सूचना के निर्धारित अवधि में संचालन प्रारंभ करने में असफल रहती है, तो उसका प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाएगा तथा कैंटीन का आवंटन प्रतीक्षा सूची (Waiting List) में अगली पात्र फर्म को किया जा सकता है।

1.12 चयनित फर्म केवल उन्हीं खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय एवं वितरण करेगी, जिन्हें समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो। सूची में किसी भी नए खाद्य पदार्थ को शामिल करने के लिए **वार्डन द्वारा अग्रेषित एफआईसी (स्टूडेंट अफेयर्स)** से नवीन अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

1.13 चयनित फर्म अनुमोदित **दर सूची (अनुलग्नक-6)** को कैंटीन परिसर के भीतर उपयुक्त एवं स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करेगी। कैंटीन में किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके **अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)** से अधिक नहीं होगा।

2. नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions)

चूँकि **पीडीपीएम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर** (जिसे आगे **"संस्थान"** अथवा **"अनुज्ञापक (Licensor)"** कहा जाएगा) ने निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन अनुज्ञाधारी (Licensee) को लाइसेंस प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। अनुज्ञाधारी, जिसे आगे **"चयनित फर्म"** कहा जाएगा, कैंटीन संचालन हेतु प्रत्येक माह की **10वीं तिथि** तक **₹12,000/- (रुपये बारह हजार मात्र)** का मासिक लाइसेंस शुल्क संस्थान को अदा करेगी।

2.1 अनुबंध की अवधि **12 माह** होगी, जिसमें प्रारंभिक **03 माह परिवीक्षा (Probation)** अवधि के रूप में होंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवाएँ संतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध शेष अवधि के लिए स्वतः प्रभावी रहेगा। अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा **30 (तीस) दिन का स्पष्ट पूर्व सूचना (Notice)** देकर समाप्त किया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त करने हेतु **15 (पंद्रह) दिन का पूर्व सूचना** देना पर्याप्त होगा।

2.2 चयनित फर्म को कार्य-क्षेत्र में वर्णित कार्यों हेतु विधिवत पंजीकृत एवं लाइसेंसधारी होना अनिवार्य होगा, जैसे कि **खाद्य लाइसेंस (Food License), श्रम लाइसेंस (Labour License)** आदि। संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किए जाने चाहिए।

2.3 चयनित फर्म को आवेदन पत्र में अपना **स्थायी एवं वर्तमान पूर्ण पता** स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।

2.4 चयनित फर्म को संस्थान के साथ एक औपचारिक अनुबंध (Agreement) निष्पादित करना होगा। अनुबंध की शर्तें, चयनित फर्म को प्रदत्त लाइसेंस की शर्तें तथा स्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) इस अनुबंध का अभिन्न अंग होंगे। अनुबंध के लिए आवश्यक **₹500/- (रुपये पाँच सौ मात्र)** मूल्य के स्टाम्प पेपर का व्यय चयनित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।

2.5 जिस चयनित फर्म का आवेदन स्वीकार किया जाता है, उसे प्रस्ताव (Offer) जारी होने की तिथि से **15 (पंद्रह) दिनों** के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर कैंटीन का संचालन प्रारंभ करना होगा। यदि चयनित फर्म अनुबंध पर हस्ताक्षर करने अथवा निर्धारित समय में संचालन प्रारंभ करने में टालमटोल, अस्वीकार या विलंब करती है, तो उसका चयन निरस्त किया जा सकता है तथा कैंटीन का आवंटन प्रतीक्षा सूची में अगली पात्र फर्म को किया जा सकता है।

2.6 सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं खाद्य स्वच्छता (Hygiene) के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

2.7 फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि उसका कोई भी कर्मचारी संस्थान परिसर के भीतर **तंबाकू, गुटखा, पान अथवा अन्य किसी नशीले पदार्थ** का सेवन न करे। इस नियम का उल्लंघन होने पर **₹2,000/- (रुपये दो हजार मात्र)** का जुर्माना लगाया जाएगा।

2.8 कैंटीन का संचालन स्वयं स्वामी अथवा उसके परिवार के सदस्य (अर्थात् रक्त संबंधी) द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

2.9 कैंटीन का स्वामी संस्थान के किसी भी **स्थायी अथवा आउटसोर्स कर्मचारी** का परिवार का सदस्य या निकट संबंधी नहीं होना चाहिए। इस संबंध में स्वामी को **अनुलग्नक-3** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में एक स्व-घोषणा (Undertaking) प्रस्तुत करनी होगी।

2.10 निविदाकर्ता को पिछले **तीन वित्तीय वर्षों** के अनुभव एवं वार्षिक कारोबार (Turnover) से संबंधित आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

2.11 चयनित फर्म कैंटीन परिसर में **कम-से-कम एक फ्लाई कैचर (Fly Catcher)** की व्यवस्था एवं स्थापना सुनिश्चित करेगी।

2A. सामान्य नियम एवं शर्तें

2A.1 चयनित फर्म को कैंटीन समिति द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सभी दिनों में सभी स्वीकृत वस्तुएँ उपलब्ध करानी होंगी।

2A.2 वार्डन तथा/अथवा स्वच्छता (हाइजीन) समिति किसी भी समय कैंटीन का निरीक्षण कर सकती है, जिसमें सेवाओं, सामग्री/उपकरणों की जाँच तथा खाद्य/पेय पदार्थों का स्वाद परीक्षण भी शामिल होगा।

2A.3 चयनित फर्म सभी खाद्य पदार्थों को मक्खियों एवं कीटों से सुरक्षित रखने हेतु काँच से ढके शो-केस में रखने की व्यवस्था करेगी। साथ ही, खाद्य पदार्थों को हैंड ग्लव्स अथवा चिमटी के माध्यम से परोसना सुनिश्चित करेगी।

2A.4 उधार बिक्री, हानि अथवा चोरी (Pilferage) के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

2A.5 क्रॉकरी एवं अन्य परोसने की सामग्री डीएसए कार्यालय द्वारा अनुमोदित अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। परोसने की सामग्री काँच अथवा स्टील की होगी। स्टायरोफोम (Styrofoam) क्रॉकरी अथवा डिस्पोजेबल चलन की सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा।

2A.6 चयनित फर्म अपने स्वयं के व्यय पर कैंटीन तथा उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए बाध्य होगी। इस कार्य हेतु संस्थान का कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

2A.7 चयनित फर्म कैंटीन संचालन हेतु शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार देय शुल्क एवं कर सीधे संबंधित प्राधिकरणों को जमा करेगी तथा उसका प्रमाण कुलसचिव को प्रस्तुत करेगी।

2A.8 चयनित फर्म एवं संस्थान के बीच किसी विवाद की स्थिति में निदेशक का निर्णय अंतिम एवं लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा।

2A.9 सभी विधिक विवाद जबलपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

2A.10 चयनित फर्म के पास कैंटीन संचालन हेतु पर्याप्त बर्तन, क्रॉकरी एवं अन्य आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध होनी चाहिए।

2A.11 सामान्यतः सेवा प्रदान करने का अधिकतम समय 15 मिनट होगा। चयनित फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि सेवा समय बार-बार निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

2A.12 चयनित फर्म कैंटीन संचालन के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाएगी तथा समय-समय पर अद्यतन एवं पुनः भरा हुआ प्राथमिक उपचार बॉक्स (First Aid Box) उपलब्ध रखेगी। चयनित फर्म द्वारा नियोजित जनशक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की होगी।

2A.13 चयनित फर्म द्वारा नियोजित कर्मचारियों की आयु, चरित्र एवं पूर्ववृत्त (Antecedents) का सत्यापन कराना चयनित फर्म की जिम्मेदारी होगी।

2A.14 चयनित फर्म किसी भी संक्रामक अथवा संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को कैंटीन में कार्य पर नियुक्त नहीं करेगी तथा समय-समय पर कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करेगी। तंबाकू एवं उससे संबंधित उत्पाद पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा किसी भी व्यक्ति को उनका सेवन करते हुए नहीं पाया जाना चाहिए।

2A.15 चयनित फर्म परिसर के किसी भाग अथवा संपूर्ण परिसर को किसी अन्य एजेंसी को किसी भी उद्देश्य से उप-लीज (Sublet) पर नहीं देगी।

2A.16 चयनित फर्म इस अनुबंध में निर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधि का संचालन अथवा उसमें संलग्न नहीं होगी।

2A.17 चयनित फर्म अपने किसी भी कर्मचारी/श्रमिक को हुई क्षति अथवा उसके संबंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के दावे, क्षतिपूर्ति अथवा दायित्व के विरुद्ध संस्थान को पूर्णतः क्षतिपूर्ति (Indemnify) प्रदान करेगी तथा संस्थान को ऐसे सभी दावों से मुक्त एवं सुरक्षित रखेगी।

2A.18 चयनित फर्म अपने सभी कर्मचारियों को अपने व्यय पर, कैंटीन समिति के सदस्य के रूप में संबंधित **माँ सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल** के वार्डन द्वारा अनुमोदित वर्दी (Uniform) एवं पहचान-पत्र (Identity Card) उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक कर्मचारी के पहचान-पत्र की एक प्रति संबंधित वार्डन कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

2A.19 अनुबंध अवधि समाप्त होने अथवा कैंटीन संचालन हेतु प्रदत्त लाइसेंस निरस्त होने पर चयनित फर्म अपना व्यवसाय समेटकर कैंटीन परिसर को तत्काल रिक्त करेगी। यदि चयनित फर्म परिसर खाली करने में विफल रहती है, तो संस्थान को चयनित फर्म के जोखिम एवं व्यय पर उसकी सामग्री हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।

2A.20 चयनित फर्म उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों के अतिरिक्त समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों एवं आदेशों का भी पालन करने के लिए बाध्य होगी।

2A.21 चयनित फर्म के कार्य-निष्पादन का निरंतर मूल्यांकन एवं निरीक्षण हॉस्टल प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। यदि किसी भी समय उसका कार्य निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है, तो संस्थान बिना कोई कारण बताए अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान ही उसे समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2A.22 कैंटीन संचालन के दौरान उत्पन्न समस्त कचरे का संस्थान परिसर के बाहर उचित निस्तारण करना चयनित फर्म की जिम्मेदारी होगी। विद्यार्थियों, आगंतुकों अथवा कैंटीन कर्मचारियों द्वारा कैंटीन के बाहर या संस्थान परिसर के किसी भी स्थान पर कचरा अथवा बचा हुआ भोजन नहीं फेंका जाएगा, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

2A.23 कैंटीन के संचालन तथा उसके खुलने एवं बंद होने का समय कैंटीन समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

2A.24 चयनित फर्म अपने सभी कर्मचारियों का सत्यापन सिविल पुलिस से कराएगी। संस्थान द्वारा जारी वैध सुरक्षा पास (Security Pass) के बिना किसी भी कर्मचारी अथवा आगंतुक को संस्थान परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

2A.25 चयनित फर्म द्वारा नियमित रूप से कीट एवं कृंतक (Pest/Rodent) नियंत्रण कराया जाएगा तथा अंतिम पेस्ट/रोडेंट नियंत्रण की तिथि कैंटीन में उपयुक्त एवं स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

2A.26 चयनित फर्म को कैंटीन संचालन हेतु उपलब्ध कराए गए स्थान सहित संस्थान परिसर के किसी भी भाग पर किसी प्रकार का स्वामित्व, अधिकार, हित अथवा दावा प्राप्त नहीं होगा।

2A.27 चयनित फर्म परिसर को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उप-भाड़े (Sublet) पर नहीं देगी तथा परिसर में किसी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन अथवा निर्माण कार्य नहीं करेगी। संस्थान को अपने विवेकानुसार आवंटित स्थान में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। संस्थान की पूर्व स्वीकृति के बिना चयनित फर्म किसी प्रकार का नवीनीकरण (Renovation) अथवा आंतरिक परिवर्तन (Interior Modification) नहीं करेगी। यदि स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो उससे संबंधित समस्त व्यय चयनित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।

2A.28 कैंटीन में विक्रय हेतु प्रस्तावित सभी खाद्य एवं अन्य वस्तुओं की सूची का अनुमोदन कैंटीन समिति द्वारा किया जाएगा। किसी भी अतिरिक्त वस्तु के विक्रय से पूर्व हॉस्टल प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2A.29 चयनित फर्म अपने कार्य-क्षेत्र से असंबंधित किसी भी प्रकार का विज्ञापन हॉस्टल प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना कैंटीन के बाहर प्रदर्शित अथवा प्रकाशित नहीं करेगी।

2A.30 कैंटीन परिसर में शराब, मदिरा, गुटखा, सिगरेट, मादक पदार्थों तथा अन्य नशीले उत्पादों का उपयोग एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यदि कैंटीन परिसर में कोई विद्यार्थी इन वस्तुओं का उपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो चयनित फर्म इसकी सूचना तत्काल हॉस्टल प्राधिकरण को देगी।

2A.31 चयनित फर्म कैंटीन में एक **सुझाव-पुस्तिका (Suggestion Book)** संधारित करेगी, जिस पर संबंधित वार्डन द्वारा प्रत्येक माह हस्ताक्षर किए जाएंगे।

2A.32 जिस व्यक्ति/फर्म को निविदा प्रदान की जाएगी, केवल वही व्यक्ति कैंटीन में उपस्थित रहकर उसका संचालन करेगा। यदि संस्थान के प्राधिकारी द्वारा कैंटीन का उप-ठेका (Subletting) अथवा आउटसोर्सिंग पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।

2A.33 आवेदकों को कैंटीन आवंटन में वरीयता का दावा करने हेतु सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, जैसे अंकसूचियाँ (Mark Sheets), कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, अनुबंधों की प्रतियाँ आदि की स्वप्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। साथ ही, जबलपुर नगर में कैंटीन अथवा समान प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित सभी लागू वैधानिक एवं विधिक दस्तावेजों की प्रतियाँ भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिनमें जीएसटी पंजीकरण (GST Registration), टीआईएन (TIN), खाद्य लाइसेंस (Food Licence), श्रम पंजीकरण प्रमाण-पत्र (Labour Registration Certificate), वाणिज्यिक गैस कनेक्शन प्रमाण-पत्र (Commercial Gas Connection Certificate) तथा अन्य आवश्यक अनुमतियाँ/लाइसेंस सम्मिलित होंगे, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

2B. दण्ड प्रावधान (Penalty Clause)

2B.1 चयनित फर्म अनुबंध में स्वीकृत दरों से अधिक मूल्य पर किसी भी वस्तु का विक्रय नहीं करेगी। यदि ऐसा पाया जाता है, तो प्रत्येक ऐसी घटना पर चयनित फर्म पर **₹500/- (रुपये पाँच सौ मात्र)** का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि चयनित फर्म सहमति प्राप्त सूची की सभी वस्तुएँ उपलब्ध नहीं कराती है, तो इसे सेवा अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा तथा प्रत्येक अनुपलब्ध वस्तु के लिए **₹500/- (रुपये पाँच सौ मात्र)** का जुर्माना लगाया जाएगा।

2B.2 यदि चयनित फर्म निर्धारित तिथि तक लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करती है, तो प्रति माह **₹1,000/- (रुपये एक हजार मात्र)** अथवा देय लाइसेंस शुल्क का **10 प्रतिशत**, जो भी अधिक हो, के अनुसार दण्ड लगाया जाएगा। भुगतान न होने की स्थिति में माह के अंत तक प्रथम चेतावनी जारी की जाएगी। अगले माह द्वितीय कारण बताओ सूचना (Show Cause Notice) जारी की जाएगी। तीन माह तक भुगतान न होने की स्थिति में कैंटीन अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा तथा प्रत्येक माह के लिए अतिरिक्त **₹2,000/- (रुपये दो हजार मात्र)** का दण्ड भी लगाया जाएगा।

2B.3 यदि कैंटीन में समाप्ति तिथि (Expiry Date) वाले खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, तो **₹2,000/- (रुपये दो हजार मात्र)** का दण्ड लगाया जाएगा तथा ऐसे सभी खाद्य पदार्थ जब्त कर लिए जाएंगे। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी को अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

2B.4 चयनित फर्म कैंटीन में किसी भी नाबालिग बालक/बालिका को कार्य पर नियुक्त नहीं करेगी तथा श्रम कानूनों एवं न्यूनतम वेतन संबंधी नियमों का पूर्णतः पालन करेगी। उल्लंघन की स्थिति में संस्थान विधिसम्मत कार्रवाई करेगा।

2B.5 कैंटीन में उचित स्वच्छता (Hygiene) एवं साफ-सफाई बनाए रखना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में प्रथम बार चेतावनी दी जाएगी। एक चेतावनी के पश्चात **₹2,000/- (रुपये दो हजार मात्र) से ₹5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र)** तक का दण्ड लगाया जा सकता है। दण्ड की राशि उल्लंघन की गंभीरता एवं उसकी पुनरावृत्ति की आवृत्ति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

2B.6 कैंटीन से उत्पन्न समस्त अपशिष्ट (Waste) के उचित निस्तारण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी (Licensee) की होगी। इस दायित्व का पालन न करने पर प्रथम बार चेतावनी दी जाएगी। एक चेतावनी के पश्चात **₹500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) से ₹2,000/- (रुपये दो हजार मात्र)** तक का दण्ड लगाया जा सकता है। दण्ड की राशि उल्लंघन की गंभीरता एवं उसकी पुनरावृत्ति की आवृत्ति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

2C. अनुबंध अवधि (Contract Period)

2C.1 चयनित फर्म के साथ एक औपचारिक अनुबंध (Agreement) निष्पादित किया जाएगा, जो प्रारंभिक रूप से **01 (एक) वर्ष** की अवधि के लिए वैध होगा। संस्थान के नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य निष्पादन संतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध की अवधि आगे बढ़ाई जा सकेगी।

2C.2 यदि चयनित फर्म द्वारा अनुबंध/समझौते अथवा उसमें उल्लिखित किसी भी नियम एवं शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो **पीडीपीएम-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर** के निदेशक, चयनित फर्म को यथोचित समय का लिखित कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करने के उपरांत शेष अनुबंध अवधि के लिए अनुबंध निरस्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में चयनित फर्म द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि (Security Deposit) जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

2D. लाइसेंस शुल्क एवं अन्य प्रभार (License Fee and Other Charges)

2D.1 कैंटीन का आवंटन आवेदक के अनुभव, साख (Credentials), फर्म के वर्तमान प्रतिष्ठान के निरीक्षण तथा कैंटीन समिति द्वारा आवेदक के साथ की गई व्यक्तिगत वार्ता (Personal Interaction) के आधार पर किया जाएगा। कैंटीन का मासिक लाइसेंस शुल्क **₹12,000/- (रुपये बारह हजार मात्र)** होगा।

2D.2 चयनित फर्म को संस्थान द्वारा प्रस्ताव (Offer) जारी किए जाने की तिथि से **10 (दस) दिनों** के भीतर **₹20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र)** की सुरक्षा निधि (Security Deposit) **डिमांड ड्राफ्ट (Demand Draft)** के माध्यम से **"PDPM-IIITDM Jabalpur"** के पक्ष में, जबलपुर देय (Payable at Jabalpur), जमा करनी होगी।

2D.3 चयनित फर्म द्वारा विद्युत शुल्क का भुगतान **मध्य प्रदेश विद्युत मंडल (MPEB), जबलपुर** द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक (Commercial) दरों अथवा संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान में जल उपयोग हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, तथापि भविष्य में संस्थान में लागू दरों के अनुसार जल शुल्क भी लिया जा सकता है।

2E. अनुबंध की समाप्ति (Termination of Contract)

2E.1 यदि चयनित फर्म अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करने में असफल रहती है, तो संस्थान को अनुबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकानुसार **₹20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र)** की सुरक्षा निधि अथवा उसका कोई भाग दण्ड (Fine/Penalty) के रूप में जब्त कर सकेगा।

2E.2 यदि अनुबंध अवधि के दौरान हॉस्टल प्राधिकरण एवं स्वच्छता समिति (Hygiene Committee) द्वारा चयनित फर्म की सेवाओं को असंतोषजनक बताया जाता है, तो चयनित फर्म को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात संस्थान अनुबंध समाप्त कर सकता है। अनुबंध समाप्ति के कारण संस्थान को होने वाली किसी भी प्रकार की हानि की वसूली अनुज्ञाधारी (Licensee) से की जाएगी। इस संबंध में संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

2E.3 संस्थान के निदेशक को यह अधिकार होगा कि वे चयनित फर्म को **एक माह का लिखित पूर्व सूचना (Notice)** देकर, बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर सकते हैं।

2F. वेतन, कर्मचारी कल्याण एवं भुगतान संबंधी शर्तें *(Wages, Welfare and Payment Conditions)*

2F.1 चयनित फर्म समय-समय पर भारत सरकार द्वारा लागू सभी श्रम कानूनों एवं वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगी। इसमें चिकित्सा व्यय, दुर्घटना लाभ, श्रमिक क्षतिपूर्ति (Workmen Compensation), न्यूनतम वेतन, बोनस, कर्मचारी कल्याण संबंधी अन्य प्रावधान तथा लागू अन्य सभी वैधानिक दायित्व सम्मिलित होंगे।

2F.2 यदि किसी नियम अथवा कानून के उल्लंघन के कारण श्रम विभाग, किसी अन्य शासकीय विभाग अथवा न्यायालय द्वारा कोई दण्ड अथवा जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, तो उसका संपूर्ण दायित्व एवं भुगतान चयनित फर्म द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

2F.3 कैंटीन में किसी भी प्रकार के **बाल श्रम (Child Labour)** का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

2F.4 चयनित फर्म अपने सभी नियोजित कर्मचारियों को भारत सरकार के नियमों, श्रम कानूनों तथा **न्यूनतम वेतन अधिनियम** के प्रावधानों के अनुसार साप्ताहिक अवकाश (Weekly Off) प्रदान करेगी।

2F.5 चयनित फर्म अपने सभी नियोजित कर्मचारियों को **न्यूनतम वेतन अधिनियम** के अनुरूप तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार वेतन का भुगतान करेगी।

2F.6 ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले कर्मचारी/स्वामी (Proprietor) निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे—

1. वे शराब अथवा किसी अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव में नहीं होंगे।
2. उनका व्यवहार शिष्ट एवं विनम्र होगा।
3. उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभिलेख (Criminal Record) नहीं होना चाहिए।
4. वे स्वच्छ एवं व्यक्तिगत स्वच्छता (Hygiene) का पूर्ण पालन करने वाले होंगे।

2F.7 कर्मचारी अथवा स्वामी संस्थान परिसर का उपयोग निवास स्थान के रूप में नहीं करेंगे। संस्थान द्वारा अनुमोदित कार्य समय के अतिरिक्त परिसर का उपयोग केवल विशेष कार्यों, जैसे सामग्री प्राप्त करना, कीटाणु/कीट नियंत्रण (Disinfestation), स्टॉक/भंडार सत्यापन (Inventory) अथवा अन्य अनुमोदित कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा।

2F.8 कैंटीन संचालन में कार्यरत कर्मचारियों का व्यवहार विद्यार्थियों, आगंतुकों एवं संस्थान के कर्मचारियों के प्रति सदैव विनम्र, सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक होना चाहिए।

अनुलग्नक – **3**

दिनांक : ....

आवेदन प्रपत्र

Photo

सेवा में,
समिति,
माँ सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल कैंटीन
पीडीपीएम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

महोदय,

मैं **माँ सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल** में कैंटीन संचालन हेतु इच्छुक हूँ। कृपया मेरी अभ्यर्थिता पर विचार करने का कष्ट करें।

मैंने कैंटीन संचालन के **कार्य-क्षेत्र (Scope of Work), दर सूची (Rate List) तथा अनुबंध की समस्त नियम एवं शर्तों** का अध्ययन कर लिया है तथा यदि मुझे कैंटीन संचालन का अनुबंध प्रदान किया जाता है, तो मैं उनका पूर्णतः पालन करने के लिए सहमत हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर : ____________________________

पूरा नाम : ____

पिता का नाम : ____

वर्तमान पता : ____

स्थायी पता : ____

मोबाइल नंबर : ____

दर सूची (Rate List): __________________________________

संलग्नक (Enclosures):

1. ____
2. ____
3. ____

अनुलग्नक – **4**

स्व-घोषणा / वचन-पत्र (UNDERTAKING)

मैं/हम निम्नलिखित घोषणा एवं वचन देते हैं कि—

1. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि मैंने/हमने इस निविदा/रुचि अभिव्यक्ति (EOI) से संबंधित सभी **नियम एवं शर्तों (Terms & Conditions)** का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा **पीडीपीएम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर** द्वारा प्रस्तावित कार्य के सभी प्रावधानों को भली-भाँति समझ लिया है। यदि कार्य मुझे/हमें आवंटित किया जाता है, तो मैं/हम इन सभी नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगे।

2. मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी फर्म को किसी भी शासकीय विभाग अथवा किसी संस्थान द्वारा **काली सूची (Blacklisted)** में शामिल नहीं किया गया है।

3. मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि इस ईओआई (EOI) में मेरे/हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा इसकी सत्यता के लिए मैं/हम पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

4. मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी फर्म का कोई भी निकट संबंधी अथवा परिवार का सदस्य **पीडीपीएम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर** में कार्यरत नहीं है।

दिनांक : ______________________________ **आवेदक के हस्ताक्षर :** ______________________________

स्थान : ______________________________ **फर्म की मुहर सहित**

पीडीपीएम

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट: खमरिया, जबलपुर – 482005

जाँच सूची (CHECK LIST)

1. स्वामी (Proprietor) का नाम :...

2. फर्म/एजेंसी का नाम :...

3. समान प्रकार के कार्य का अनुभव (एजेंसी द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ संलग्न करें):

क्र.सं.	अवधि (से)	अवधि (तक)	संगठन का नाम	प्रदान की गई सेवाओं का विवरण
1				
2				
3				

(आवश्यक होने पर पृथक पत्रक संलग्न करें।)

4. जीएसटी पंजीकरण संख्या (GST Registration No.) (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)

5. पैन (PAN) संख्या (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)

6. एफएसएसएआई (FSSAI) खाद्य लाइसेंस (प्रति संलग्न करें)

7. श्रम लाइसेंस (Labour Licence) (प्रति संलग्न करें)

8. ब्लैकलिस्ट न होने संबंधी शपथ-पत्र (Affidavit regarding Non-Blacklisting) (प्रति संलग्न करें)

9. फर्म/कैंटीन का पंजीकरण संख्या (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)

10. कृपया स्पष्ट करें कि आवेदक निम्न में से किस श्रेणी का है (✔ करें):

☐ एकल स्वामित्व फर्म ☐ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ☐ साझेदारी फर्म (Partnership Firm)

यदि साझेदारी फर्म है, तो सभी भागीदारों (Partners) के नाम का उल्लेख करें:

....

आवेदक के हस्ताक्षर : ___________________________

फर्म की मुहर : ___________________________

माँ सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल कैंटीन हेतु दर सूची

क्र.सं.	मेन्यू आइटम	माप की इकाई	मात्रा/वजन/आकार	दर (₹)
1	चाय	प्रति कप	125 मि.ली.	10
2	कॉफी	प्रति कप	125 मि.ली.	10
3	नींबू पानी	प्रति गिलास	200 मि.ली.	30
4	सूखे मेवों सहित लस्सी	प्रति गिलास	250 मि.ली.	30
5	मिल्क शेक	प्रति गिलास	250 मि.ली.	20
6	मैंगो शेक	प्रति गिलास	200 मि.ली.	20
7	पाइनएप्पल शेक	प्रति गिलास	200 मि.ली.	25
8	गर्म दूध	प्रति गिलास	200 मि.ली.	15
9	बॉर्नविटा युक्त गर्म दूध	प्रति गिलास	200 मि.ली.	25
10	केला शेक	प्रति गिलास	200 मि.ली.	20
11	बादाम शेक	प्रति गिलास	200 मि.ली.	25
12	एसेंस युक्त दूध	प्रति गिलास	200 मि.ली.	20
13	बिस्कुट/टॉफ़ी/दही/दूध	-	-	MRP
14	पैक्ड पेयजल/कोल्ड ड्रिंक/चिप्स	-	-	MRP
15	फ्रूट सलाद	प्रति प्लेट	-	10
16	सादा मैगी	प्रति प्लेट	100 ग्राम	30
17	मसाला मैगी	प्रति प्लेट	100 ग्राम	35
18	समोसा (आलू/मटर)	प्रति प्लेट	100 ग्राम	10
19	मूंगदाल कचौरी	प्रति नग	50 ग्राम	10
20	ब्रेड पकोड़ा	प्रति नग	75 ग्राम	10
21	मठरी	प्रति नग	50 ग्राम	4
22	वेज पकोड़ा	प्रति नग	100 ग्राम	15
23	आलू बोंडा	प्रति नग	100 ग्राम	10
24	ढोकला	प्रति प्लेट	100 ग्राम	10
25	पोहा	प्रति प्लेट	120 ग्राम	10
26	4 पूरी + सब्जी	प्रति प्लेट	150 ग्राम	20
27	सांभर + वडा	2 नग	60 ग्राम	15
28	सादा डोसा	1 नग	मानक	20
29	मसाला डोसा	1 नग	मानक	30
30	इडली	2 नग	मानक	20

[आवेदक के हस्ताक्षर]

31	उत्तपम	1 नग	200 ग्राम	20
32	सादा चाउमीन	प्रति प्लेट	200 ग्राम	25
33	मिक्स वेज कटलेट	2 नग	75 ग्राम	12
34	वेज बर्गर	1 नग	मानक	15
35	मक्खन/खीरा सैंडविच	1 नग	मानक	20
36	आलू पैटीज़	मानक	-	15
37	पनीर पैटीज़	मानक	-	20
38	ब्रेड जैम-बटर	2 स्लाइस	मानक	10
39	वेज नूडल्स	प्रति प्लेट	150 ग्राम	10
40	वेज आटा नूडल्स	प्रति प्लेट	100 ग्राम	15
41	पास्ता	प्रति प्लेट	100 ग्राम	20
42	पानी पूरी	5 नग	-	10
43	आलू टिक्की चाट	प्रति प्लेट	2 नग	25
44	दही पुरी	मानक	8 नग	10
45	वेज सैंडविच	मानक	-	15
46	ग्रिल्ड वेज सैंडविच	मानक	-	15
47	चीज़/पनीर वेज सैंडविच	मानक	-	15
48	स्प्रिंग रोल	प्रति प्लेट	-	15
49	मोमोज	प्रति प्लेट	-	15
50	सादा पराठा	1 प्लेट	मध्यम	10
51	आलू पराठा	1 प्लेट	मानक	20
52	गोभी पराठा	1 प्लेट	मानक	15
53	मूली पराठा	1 प्लेट	मानक	15
54	मेथी पराठा	1 प्लेट	मानक	15
55	पनीर पराठा	1 प्लेट	मानक	20
56	रोटी	-	मानक	6
57	तवा रोटी	-	मानक	6
58	तंदूरी रोटी	-	मानक	8
59	जीरा राइस	प्रति प्लेट	150 ग्राम	25
60	सादा चावल	प्रति प्लेट	150 ग्राम	20
61	वेज फ्राइड राइस	प्रति प्लेट	150 ग्राम	25
62	करी के साथ चावल	प्रति प्लेट	150+50 ग्राम	30
63	दाल के साथ चावल	प्रति प्लेट	150+50 ग्राम	30
64	छोले के साथ चावल	प्रति प्लेट	150+50 ग्राम	30
65	राजमा के साथ चावल	प्रति प्लेट	150+50 ग्राम	30
66	दही चावल	प्रति प्लेट	150+50 ग्राम	30
67	दाल फ्राई	प्रति प्लेट	150 मि.ली.	30

68	दाल मखनी	प्रति प्लेट	150 मि.ली.	30
69	मिक्स वेज	प्रति प्लेट	250 मि.ली.	60
70	बटर पनीर मसाला	प्रति प्लेट	250 ग्राम	60
71	शाही पनीर	प्रति प्लेट	250 ग्राम	60
72	कॉम्बो मील	मानक	4 पूरी+छोले+चावल+सलाद+अचार	70
73	वेज थाली	मानक	4 चपाती+सब्जी+दाल/छोले/राजमा+चावल+अचार+सलाद	70
74	स्पेशल थाली	मानक	4 चपाती+सब्जी+पनीर+दाल/छोले/राजमा+पापड़+सलाद+अचार+मिठाई	100
75	बेसन लड्डू	50 ग्राम	मध्यम	5
76	मीठे चावल	प्रति प्लेट	150 ग्राम	15
77	जलेबी	प्रति प्लेट	100 ग्राम	10
78	उबला अंडा	1 अंडा	-	10
79	ऑमलेट	1/2 अंडा	-	Dec-20
80	अंडा करी	प्रति प्लेट	2 अंडे	50
81	एग रोल	1 नग	मानक	30
82	एग बिरयानी	प्रति प्लेट	2 अंडे	40
83	बटर चिकन	प्रति प्लेट	3 पीस	80
84	चिकन टिक्का मसाला	प्रति प्लेट	3 पीस	100
85	तंदूरी चिकन	प्रति प्लेट	1/2 किग्रा	100
86	चिकन 65	हाफ प्लेट	10 पीस	100
87	चिकन फ्राइड राइस	हाफ प्लेट	3 चिकन पीस	50
88	चिकन बिरयानी	हाफ प्लेट	3 चिकन पीस	60
89	चिकन मंचूरियन	हाफ प्लेट	3 चिकन पीस	60
90	चिकन करी	हाफ प्लेट	3 चिकन पीस	60